न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
दूदू जिला जयपुर, राज0

श्री बीरबल सिंह शेखावत (आर0ए0एस0)
(पीठासीन अधिकारी)

श्योचन्द पुत्र श्री अखैराम जाति जाट निवासी खुडियाला तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर
–अपीलार्थी

बनाम

1 सरपंच ग्राम पंचायत खुडियाला तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0

2 तहसीलदार तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0

3 गोपालीदेवी पत्नि नन्दाराम जाति स्वामी निवासी खुडियाला तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर
–गैर अपीलार्थी

मुकदमा संख्या 1/2021

प्रकरण किस्म अपील

निर्णय दिनांक 26.2.2021

उपस्थित

अपीलान्ट अधिवक्ता शेख अनवर अली

रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता कैलाश चन्द जाट

रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ताज मोहम्मद

निर्णय

प्रार्थी श्योचंद पुत्र अखैराम जाति जाट निवासी खुडियाला तहसील मौजमाबाद द्वारा अपील अर्न्तगत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्व नामान्तकरण संख्या 244 दिनांक 20.3.2012 ग्राम पंचायत खुडियाला पंचायत समिति दूदू जिला जयपुर के द्वारा अपीलार्थी के हिस्से में बढकर नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। उसे निरस्त करवाने बाबत पेश किया है। जिसका संक्षेप सार इस प्रकार है:–

अपीलार्थी श्योचंन्द ने ग्राम खुडियाला मे आराजी खाता संख्या 416 के खसरा संख्या 1282 रकबा 0.1700, 1283 रकबा 0.20 1284/0.10 हैक्ट0 कुल किता3 कुल रकबा 0.4700 हैक्ट0 भूमि वाके ग्राम खुडियाला तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर मे स्थित है। जिसमें अपीलार्थी के पिता अखैराम का 1/4 हिस्से में से अप्रार्थी संख्या 3 ने 844/1175 हिस्से की भूमि कय की थी। जिसका नामान्तरण ग्राम पंचायत खुडियाला ने निम्नासुार खोला गया है:–

गोपाली देवी धर्मपत्नि नंदाराम जाति स्वामी निवासी खुडियाला तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0

जबकि प्रविष्टि में विकय पत्र दिनांक 06.01.2012 के विपरीत जाकर अपीलार्थी के पिता के सम्पूर्ण 1!4 हिस्से का ही अप्रार्थी संख्या 3 के हक में नामान्तकरण तस्दीक कर दिया

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू (जयपुर)

जो विधि अनुसार नही है। उक्त प्रविष्टि को विलोपित किये जाने बाबत अपील निम्न आधारो पर पेश की गई है:-

1 यह कि आराजी खाता संख्या 416 के खसरा संख्या 1282 रकबा 0.1700 1283 रकबा 0.20 , 1284 रकबा 0.10 हैक्ट0 कुल किता 03 कुल रकबा 0.4700 हैक्ट भूमि वाके ग्राम खुडियाला तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है। जिसमे अपीलार्थी के पिता का 1/4 हिस्सा निहित है।

2 यह कि अपीलार्थी के पिता अखैराम ने अपनी उक्त आराजी मे अपने 1/4 हिस्से में से 844/1175 हिस्से का अर्थात 844.46 वर्गमीटर का विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के हक में दिनांक 06.01.2012 को निष्पादित करवा दिया।

3 यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जब नामान्तकरण संख्या 244 दिनांक 20.03.2012 खोला गया था। जिसमें गिरदावर रिपोर्ट दिनांक 07.02.2012 के अनुसार विक्रय पत्र भूखण्ड का होना सही नही बताया है और मिलान सही नही होना बताकर अपनी रिपोर्ट पेश की जिसकी भी नजर अंदाज करते हुऐ अधीनस्थ न्यायालय सरपंच खुडियाला ने दिनांक 20.3.2012 को उक्त नामान्तकरण को स्वीकार करते हुऐ रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के हक मे उनके क्रय हिस्से से बंद कर अपीलान्ट के पिता के नाम दर्ज सम्पूर्ण 1/4 हिस्से का नामान्तकरण तस्दीक कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है।

4 यह कि अधीनस्थ न्यायालय का यह वैधानिक कर्तव्य था कि वह नामान्तकरण प्रकिया सम्पादित करते समय विधिक प्रावधानो की पालना करते। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने गिरदावर रिपोर्ट एंव विक्रय पत्र दिनांक 06.01.2012 को नजर अदांज करते हुऐ आक्षेपित आदेश प्रसारित किया है। जो कि अवैधानिक है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। अतः नामान्तकरण को निरस्त किया जावे।

पत्रावली में रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 3 को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस भिजवाये।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 गणेश डाबला सरपंच ग्राम पंचायत खुडियाला की और से कैलाश चन्द जाट अधिवक्ता ने वकालतनामा व जवाब पेश किया। आराजी खाता संख्या 416 के खसरा संख्या 1282 रकबा 0.1700, 1283 रकबा 0.20 1284/0.10 हैक्ट0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.4700 हैक्ट0 भूमि वाके ग्राम खुडियाला तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर मे स्थित है। जिसमें अपीलार्थी के पिता अखैराम का 1/4 हिस्से होना सही है। तथा उक्त हिस्से में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने 844/1175 हिस्से की भूमि विक्रय पत्र के द्वारा क्रय किया जाना सही है। पूर्व सरपंच द्वारा उक्त विक्रय पत्र से परे जाकर 844/1175 हिस्से से परे जाकर सम्पूर्ण आराजी का नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के हक में कर दिया। जो एक भारी मानवीय भूल है। उसे दुरूस्त किया जाना उचित है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर

रेस्पोडेन्ट संख्या 3 गोपाली देवी पत्नि नंदाराम जाति स्वामी निवासी खुडियाला की और से उपस्थित होकर अधिवक्ता ताज मोहम्मद ने उपस्थित होकर बिन्दुवार जवाब पेश किया।

1 यह कि अपील का पैरा संख्या 01 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है । सही होने से स्वीकार है। अराजी खाता संख्या 416 के खसरा संख्या 1282 / 0.1700, 1283/0.20, 1284/0.10 हैक्ट0 कुल किता 03 कुल रकबा 0.4700 हैक्ट0 भूमि वाके ग्राम खुडियाला तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है जिसमे अपीलार्थी के पिता अखैराम का 1/4 हिस्से में से अप्रार्थी संख्या 3 ने 844/1175 हिस्से की भूमि कय की थी। जिसका नामान्तकरण दिनांक 20.03.2012 को ग्राम पंचायत खुडियाला द्वारा गलत रूप से खोल दिया गया ।

2 यह कि ग्राम पंचायत खुडियाला द्वारा दिनांक 20.03..2012 को रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के नाम अखैराम का 1/4 हिस्से का सम्पूर्ण का नामान्तरण खोला गया।

3 यह कि दिनांक 20.03..2012 को खोला गया नामांन्तकरण सेहवन से अखैराम की 1/4 हिस्से की भूमि का खोल दिया गया है।

4 यह कि अखैराम की भूमि हिस्सा 1/4 मे से हिस्सा 844/1175 का नामान्तकरण खोला जाना था।जबकि सम्पूर्ण 1/4 हिस्से की भूमि का नामान्तकरण खोल दिया जो नामान्तकरण न्यायहित मे दुरुस्त किया जाना आवश्यक है।

5 यह है कि दिनांक 20.3.2012 को ग्राम पंचायत खुडियाला द्वारा गोपालीदेवी कें हक में खोले गये नामान्तकरण को संशोधित किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा कयशुदा भूमि हिस्सा 844/1175 का संशोधन किया जाना आवश्यक है।

अतः आराजी खाता संख्या 416 के खसरा संख्या 1282/0.1700,1283/0.20, 1284/0.10 हैक्ट0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.4700 हैक्ट0 भूमि वाके ग्राम खुडियाला तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर मे से अपीलान्ट के पिता अखैराम के 1/4 हिस्से में से रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के हक मे 844/1175 को नामान्तिकरण दर्ज करमे हुऐ हिस्सा बदस्तुर रहने का निवेदन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी व गैर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई बहस को सुना गया। अपीलार्थी की और से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपील प्रार्थना पत्र मे पेश किये गये कथनो को दोहराया। तथा जवाब मे गैर अपीलार्थी संख्या 3 के अधिवक्ता ने नामान्तरण जो ग्राम पंचायत खुडियाला द्वारा 20.03.2012 को खोला गया है। वह अपीलार्थी के पिता अखैराम के 1/4 हिस्सा मे से हिस्सा 844/1175 का नामान्तरण खोला जाना था। जबकि सम्पूर्ण 1/4 हिस्से भूमि का नामान्तरण खोल दिया। जो विधि अनुसार गलत है। उसे दुरुस्त किया जावे। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट की और से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओ की बहस को सुनने व मनन करने के पश्चात पत्रावली मे पेश किये गये रिकार्ड का अवलोकन किया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (stamp)

अतिरिक्त जिला कलक्टर

पाया कि आराजी खाता संख्या 416 के खसरा संख्या 1282 रकबा 0.1700, 1283 रकबा 0.20 1284 / 0.10 हैक्ट0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.4700 हैक्ट0 भूमि वाके ग्राम खुडियाला तहसील मौजमाबाद में जिसमें अपीलार्थी के पिता अखैराम का 1/4 हिस्से में से अप्रार्थी संख्या 3 गोपाली देवी धर्मपत्नि नंदाराम जाति स्वामी निवासी खुडियाला तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर ने 844/1175 हिस्से की भूमि को कय किया गया था। जबकि अपीलार्थी के पिता अखैराम के सम्पूर्ण 1/4 हिस्से का नामान्तकरण गैरअपीलार्थी के हक कर दिया गया जो गलत है। अतः आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी के पिता अखैराम का मुताबिक दस्तावेज संख्या 2012000055 दिनांक 06.01.2012 के 1/4 हिस्से में से गैर अपीलार्थी संख्या 3 गोपाली देवी धर्मपत्नि नंदाराम ने 844/1175 हिस्से की भूमि कय भूमि पर ही नामान्तकरण को तस्दीक किया जावे। अन्य आराजी पर नही । तथा नामान्तकरण संख्या 244/2012 दिनांक 20.03.2012 को निरस्त किया जाकर नामान्तकरण संख्या 244/2012 को पुनः तस्दीक करें। आदेश आज दिनांक 26.2.2021 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

बीरबलसिंह शेखावत
अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू (जयपुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अतिरिक्त मजिस्ट्रेट
दूदू जिला जयपुर, राज0